दो महिलाओं समेत तीन से पांच करोड़ की हेरोइन बरामद

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुये तीन ड्रग सप्लायरों को अरेस्ट किया है। इंटर बॉर्डर गैंग्स इंवेस्टिगेशन स्कवायड ने द्वारका इलाके से दो महिलाओं को दो किलो उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन के साथ पकड़ा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत चार करोड़ के आसपास आंकी गई है। पुलिस के अनुसार यह सिंडीकेट पंजाब और हरियाणा के शहरों के साथ बरेली में ड्रग्स सप्लाई करता था। दूसरे मामले में क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने बरेली बेस्ड इदरीश को अरेस्ट किया। उसके पास से एक करोड़ की हेरोइन बरामद हुई।

खास बातें

- दो मामलों में क्राइम ब्रांच की कार्रवाई
- बरेली बेस्ड ड्रग सप्लायर इदरीश हुआ अरेस्ट
- द्वारका से दो महिलाएं चार करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़ी

रैकेट को नाइजीरियाई नागरिक ऑपरेट कर रहे थे

ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार के अनुसार आईबीजीआईएस द्वारा गिरफ्तार की गई महिलाओं के नाम 56 वर्षीय कोरोलाइन फोकुम और 40 वर्षीय मधु है। इस रैकेट को नाइजीरियाई नागरिक ऑपरेट कर रहे थे। जिस समय इन महिलाओं को अरेस्ट किया गया उस समय यह बैक में सवार होकर दो किलो हेरोइन लेकर पंजाब जा रही थी। कोरोलाइन मूलरूप से वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। वह 2013 में भी अरेस्ट हो चुकी है। मधु पंजाब से संबंध रखती है। वह भी 2013 में चीटिंग के मामले में पकड़ी जा चुकी है। दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी। दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी। इसी बीच दोनों नाइजीरियाई नागरिक हेनरी के संपर्क में आई थी। जेल से बाहर आकर दोनों हेनरी के ड्रग्स रैकेट में शामिल हो गई थी। गत दो सालों से वह पंजाब, हरियाणा, बरेली, मुंबई और कोलकाता में कई डिलीवरी कर चुकी है। दोनों महिलाओं ने बताया कि नाइजीरियाई नागरिकों तक हेरोइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पहुंचती है। इन्हें दिल्ली से बाहर हर डिलीवरी के एक लाख रुपये मिलते थे।

कुख्यात तस्कर इदरीश से आधा किलो हेरोइन बरामद

नारकॉटिक्स सेल, क्राइम ब्रांच के डीसीपी चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि इदरीश के पास से आधा किलो हेरोइन बरामद हुई है। वह बरेली बेस्ड सप्लायर है। बरामद हेरोइन की कीमत एक करोड़ के आसपास है। आरोपी पहले भी तीन मामलों में शामिल रहा है। 2001 के मामले में इसे सजा भी हो चुकी है। करीब डेढ़ माह के भीतर नारकॉटिक्स सेल की यह छठीं कार्रवाई है। पुलिस ने इदरीश को सीमा पुरी से दिलशाद गार्डन जाने वाले मेन रोड से अरेस्ट किया। आरोपी 2001 में पहली बार अरेस्ट हुआ था। उस समय इसके पास से आधा किलो हेरोइन मिली थी। इस केस में वह चार साल जेल में रहा। जेल से बाहर आने के बाद इसने सब्जियां बेचनी शुरू की थी। लेकिन जल्द पैसा कमाने का लालच दिल से नहीं गया था तो वह फिर से ड्रग्स के धंधे में उतर गया। आरोपी 2011 में फिर क्राइम ब्रांच द्वारा अरेस्ट किया गया था। आरोपी तीसरी बार 2015 में अरेस्ट किया गया।

खबर संक्षेप

प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता हिरासत में लिए

नई दिल्ली। नई दिल्ली जिले में बिना अनुमति महगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूथ कांग्रेस की देखरेख में प्रदर्शन में सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। सांसद राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। डीसीपी (नई दिल्ली) दीपक यादव ने बताया कि प्रदर्शन करने के आरोप में 589 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसमें 28 महिलाएं, दो सांसद और चार विधायक भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने किया था। प्रदर्शन जंतर-मंतर रोड पर रायसिना के पास हुआ था। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान ये लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग करने के साथ-साथ पानी के बौछार भी किया गया। हिरासत में लेने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया।

4.1 किलोग्राम सोने के साथ तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से एक महिला समेत सूडान के तीन नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.82 करोड़ रुपये मूल्य का 4.1 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है। सीमा शुल्क विभाग ने बृहस्पतिवार को एक वक्तव्य जारी कर यह जानकारी दी। वक्तव्य के मुताबिक यह लोग बुधवार को दुबई से नयी दिल्ली आए थे। हवाई अड्डे पर तीनों के सामान की विस्तृत जांच के दौरान 4,113 ग्राम के सोने के बिस्कुट बरामद किए गए। बरामद किए गए सोने की कीमत 1.82 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वक्तव्य के मुताबिक सोने को जब्त कर यात्रियों को हिरासत में रखा गया है।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 213 लोग तलाशे

नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने इस साल कुल 213 लापता लोगों को तलाशने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही ऑपरेशन मिलाप के तहत 96 बच्चे भी पुलिस ने ढूंढ निकाले। डीसीपी मोनिका भारद्वाज के अनुसार यह आंकड़ा एक जनवरी से तीन अगस्त के बीच का है। जिन माता पिता का बच्चा उन्हें वापस मिला है वह दिल्ली पुलिस की जमकर सराहना कर रहे हैं।

पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को पकड़ा

बर्थडे केक काटने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

प्रेम नगर थाना इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान केक काटने को लेकर हुए विवाद में कुछ दोस्तों ने अपने एक दोस्त और उसके चचेरे भाई को चाकू मार दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने वीरेंद्र उर्फ विक्की (23) को मृत घोषित कर दिया। घायल का नाम नितिन उर्फ किशन सिंह (22) है। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों के नाम विवेक उर्फ जोजो उर्फ टीचर (22), गोविंदा (22), पिंटू (21), राजेश (18) और जितेंद्र (23) है। सभी आरोपी प्रेम नगर के ही रहने वाले हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

डीसीपी (रोहिणी) प्रणव तायल ने बताया कि बुधवार रात करीब 7:30 बजे प्रेम नगर थाना पुलिस को नाग मंदिर के पीछे दो युवकों को चाकू मारने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायलों को संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया है। इसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची। अस्पताल में वीरेंद्र उर्फ विक्की को मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल नितिन उर्फ किशन सिंह का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नितिन का वीरेंद्र चचेरा भाई था। नितिन अपने पिता के साथ सिलाई मशीनों की मरम्मत का काम करता था। वहीं, वीरेंद्र उर्फ विक्की पलंबर का काम करता था।

खास बातें

- एक घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज
- पकड़े गए आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल

मामूली कहासुनी में चले चाकू

बुधवार शाम को वीरेंद्र उर्फ विक्की और उसका चचेरा भाई नितिन उर्फ किशन सिंह अपने दोस्त दिवाकर और राजेश के बर्थडे में शामिल होने गए थे। यहां सभी शराब पी रहे थे और खाना खा रहे थे। इसी दौरान केक काटने को लेकर उनकी बेच कहासुनी हो गई। देखते-देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान आरोपियों ने वीरेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। नितिन ने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी चाकू से वार किया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वीरेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को पकड़ा है।

पुलिस से बचने के लिए पहली मंजिल से कूदा बदमाश

द्वारका जिले की जेल बेल रिलीज सेल ने एक आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी का नाम विकास झज्जर है। आरोपी आसौदा गैंग का गुर्गा है। पुलिस की माने तो आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए पहली मंजिल से छत से छलांग लगा दी। इस दौरान आरोपी के पैर में चोट भी लग गई थी। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, जहां उपचार के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी रोहिणी में दो और हरियाणा में एक मामले में वांटेड है। उसे कोर्ट ने भी भगोड़ा घोषित किया हुआ था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी (द्वारका) संतोष मीणा ने बताया कि तीन साल से आरोपी की तलाश दिल्ली पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस को भी थी। इसी दौरान द्वारका जिले की जेल बेल रिलीज सेल को सूचना मिली। सूचना मिलते ही एक पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा। पुलिस को देखकर आरोपी ने अपने बचाव के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी। इस दौरान उसके पैर में लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह आसौदा गैंग के लिए हथियार सप्लाई का काम करता था।

चालान का डर दिखाकर वसूली करने वाला सिविल डिफेंस कर्मी दबोचा

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

गाजीपुर थाना पुलिस ने एक सिविल डिफेंस कर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने का चालान करने की बात कहकर वसूली कर रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम श्याम सुंदर (23) है। आरोपी मंडावली का रहने वाला है। पुलिस की मानें तो आरोपी ने मार्च माह में सिविल डिफेंस ज्वाइन किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक फोन जब्त किया है, जिसमें उसने अपने पेटीएम अकाउंट में पीड़ित से रुपए वसूले थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी (ईस्ट) प्रियंका कश्यप ने बताया कि गत दो अगस्त को पुलिस को फोन कर सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हरियाणा निवासी रविंद्र पांडे ने पुलिस को बताया कि उसका चालान उस वक्त किया गया था, जब वह अपने परिवार के साथ कार से गाजीपुर इलाके से होते हुए अपने घर जा रहे था। इस दौरान कार में पांच लोग सवार थे। इस उनकी कार को रुकवा दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मी श्याम सुंदर ने दस हजार रुपए चालान का डर दिखाया और फिर मामला एक हजार रुपए में रफा दफा किया। उसने रमक पेटीएम अकाउंट में ली थी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी श्याम सुंदर को पकड़ लिया। बाद में इसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

- आरोपी पेटीएम के जरिए लेता था रुपये
- इस साल सिविल डिफेंस कर्मी ने किया था ज्वाइन

चमक होल्डिंग्स लिमिटेड
CIN: L51494DL1984PLC019684
पंजी. : 55–बी, रामा रोड इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली डीएल–110015 आईएन
Email: chamakholdings@gmail.com

सूचना

यह आपकी सूचना में लाया जाता है कि अन्य बातों के अलावा 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही हेतु अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और अनुमोदन के लिये कम्पनी की निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार 13 अगस्त 2021 को अप. 3.30 बजे 1/1 कीर्ति नगर, मेन रोड, नई दिल्ली 110015 में आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, सेबी (अनाधिकृत व्यापार निषेध) नियमनों 2015 के तहत, कम्पनी की सिक्योरिटीज में लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के पश्चात 48 घंटे की समाप्ति तक पहले ही बंद है।

कृते चमक होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./–
दीप्ति गुप्ता
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.08.2021

कारोबारी से 40 लाख की रंगदारी मांगने वाले दो आरोपी पकड़े

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

- आरोपी के पास से पिस्टल व कारतूस बरामद
- कर्ज उतारने के लिए आरोपी ने मांगी थी फिरौती

सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने एक कारोबारी से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम पोकरमल सौरन (26) और सौरभ अग्रवाल (29) है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की मानें तो आरोपी ने कर्ज उतारने के लिए कारोबारी से रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

डीसीपी (नॉर्थ) अंटो अल्फोंस ने बताया कि गत 30 जुलाई को एक महिला ने सराय रोहिल्ला थाना पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उनके पति प्रदीप गुप्ता से सोनू नामक बदमाश प्लास्टिक फैक्ट्री मालिक सौरभ अग्रवाल के नाम पर चालीस लाख रुपए की रंगदारी मांग कर रहा है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी सौरभ अग्रवाल के पिता का प्रदीप अग्रवाल के साथ बिजनेस कनेक्शन था। सौरभ के पिता की मौत के बाद बिजनेस को लेकर उनके बीच विवाद हो गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद दोनों आरोपी महावीर और शिव सिंह है। पुलिस को उनके पास से पिस्टल व कारतूस मिला। पूछताछ के दौरान आरोपी सौरभ ने पुलिस को बताया कि वह कर्ज में काफी डूब चुका है। उसके पिता का पीड़ित प्रदीप से कारोबारी कनेक्शन था। वर्ष 2010 से पहले उनके बीच रुपयों का लेनदेन भी हुआ था।

तिलक नगर में फर्जी सिम कार्ड बेचता डीलर गिरफ्तार

- आरोपी के पास से 404 सिम कार्ड बरामद
- स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
- सिम कार्ड खरीदारों तक भी पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई अभियान चलाए हुए है। ऐसा में वेस्ट जिले के तिलक नगर थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा है, जोकि फर्जी पहचान पत्र पर एक्टिव सिम कार्ड आरोपियों को मुहैया करता था। पकड़े गए आरोपी का नाम हरि सिंह उर्फ लक्की है। आरोपी तिलक नगर के रहने वाला है। पुलिस टीमें सेकेंड हैंड कार डीलर, गेस्ट हाउस, किरायेदारों से लेकर फोन डीलरों पर नजर बनाए हुए है। इसी दौरान पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि वह फर्जी पहचान पर सिम कार्ड हासिल कर उन्हें आगे बेचता था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा और आरोपी को पकड़ लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सिम कार्ड का इस्तेमाल जालसाज और अपराधी लोग गलत काम के लिए करते थे। पुलिस ने आरोपी के पास मिले 404 चालू फर्जी और अवैध सिम कार्ड में 55 एयरटेल, 222 आईडिया और 127 वोडाफोन कंपनी के हैं। आरोपी पर पहले से तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

AMS Polymers Limited (Formerly, Sai Moh Auto Links Ltd)
CIN : L34300DL1985PLC020510
Regd. Off. : C-582, Saraswati Vihar, Pitampura Delhi-110034, Phone: 011-27032701/02
Fax: 011-27027995 | Website : www.amspolymers.com | Email : polymersams@gmail.com
EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2021
(Rs. In Lacs) Except EPS

S. N.	Particulars	For the Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	For the Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)	For year Ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations (net)	800.39	370.03	3151.37
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	1.99	-10.17	8.97
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	1.99	-10.17	8.97
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	1.99	-10.17	6.64
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	1.99	-10.17	6.64
6	Equity Share Capital	330.25	330.25	330.25
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			-14.78
8	Earnings Per Share (of Re.10/- each) (for continuing and discontinued operation)			
	Basic:	0.06	0.31	0.20
	Diluted:	0.06	0.31	0.20

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June,2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the BSE's website, i.e., www.bseindia.com and on the Company's website www.amspolymers.com. The above results are prepared in accordance with the Companies (Ind AS) Rules, 2015.

For and on behalf of Board Directors of AMS Polymers Limited
Sd/-
Anand Kumar
Managing Director, DIN: 01381489
Place: Delhi
Date: 05.08.2021

रकम हड़पने के बाद मूल धन भी नहीं लौटाया था

हाई रिटर्न का वादा कर करोड़ों की ठगी के दो आरोपी अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

खास बात

- लगभग 1.17 करोड़ की ठगी का है आरोप

आर्थिक अपराध शाखा ने एक करोड़ से जयादा की ठगी के आरोपी दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक कंपनी में रकम निवेश करने के नाम पर ज्यादा ब्याज देने का झांसा निवेशकों को दिया था। इनके नाम करोलबाग निवासी 56 वर्षीय तरुण कुमार और पीतमपुरा निवासी नरेन्द्र कुमार है। पुलिस ने ठगी का यह मुकदमा 2017 में दर्ज किया था।

पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता कैलाश देवी खन्ना और उनके परिवार के लोगों ने साल 2005 में आरोपी की फर्म एमएस डीडी सेल्स कॉरपोरेशन में 1.58 करोड़ रुपए निवेश किए थे। बाद में कंपनी के शीष पदाधिकारियों ने निवेश की गई रकम को एमएस डीडी ग्लोबल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड में 1.17 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी तरुण कुमार और नरेन्द्र कुमार एमएस डीडी ग्लोबल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डॉयरेक्टर हैं। पीड़ित लोगों से रकम हड़पने के बाद आरोपियों ने ब्याज तो दूर की बात उनका मूल धन भी वापस नहीं किया। इस बाबत मिली शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा ने मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद अब दोनों को अरेस्ट किया गया है। इनके खिलाफ दिल्ली और फरीदाबाद में धोखाधड़ी के लगभग 10 मामले दर्ज पाये गये हैं।

महिला कांस्टेबल ने एसआई पर लगाया रेप का आरोप

नई दिल्ली। साउथ डिस्ट्रिक्ट के हौजखास थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर लगा है। इस केस में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी एसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी केस में गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपों के मद्देनजर जांच कर रही है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित महिला कांस्टेबल ने लिखा कि आरोपी सब इंस्पेक्टर ने इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान उसे कॉल किया। इसके बाद वह उसे मुनिरका स्थित एक घर में ले गया। वहां उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी गई, जिसका सेवन करने के बाद वह सुधबुध खो बैठी। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। उसकी आपत्तिजनक हालत में तस्वीरें भी खींची गई, जिनके जरिये वह बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसे मानसिक और शारीरिक तौर से टॉर्चर किया गया। आरोपी वर्तमान में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात है। वह साल 2010 बैच का है। गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है, जब दिल्ली पुलिस के कर्मियों पर इस तरह के संगीन आरोप लगे हो। आम लोगों के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप लगते ही पुलिस सबसे पहले उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और बाद में जांच पड़ताल करती है। लेकिन अपने महकमे के कर्मियों पर ऐसे आरोप लगने पर पहले जांच का हवाला दिया जाता है।

- पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू

सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
CIN: L65999DL1985PLC019846
पंजीकृत कार्यालय : ई–253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट्स, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज नई दिल्ली–110092
E-Mail: info@sidhmanagement.in; Website: www.sidhmanagement.in
30 जून 2021 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु अअंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार
[सेबी (एलओडीआर) नियमनों, 2015 के नियमन 47(1)(बी) देखें]
(राशि रु. में)

क्र. सं.	विवरण	अअंकेक्षित 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही	अंकेक्षित 31 मार्च 2021 को समाप्त पूर्ववर्ती तिमाही (टिप्पणी सं. 2 देखें)	अअंकेक्षित 30 जून 2020 को समाप्त अनुकूल तिमाही	अंकेक्षित 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालनों से कुल आय	3,139,231	919,583	1,898,856	3,788,647
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	2,841,085	(1,471,988)	1,536,332	465,142
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	2,841,085	(1,471,988)	1,536,332	465,142
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	2,841,085	(1,471,992)	1,536,332	377,301
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	2,841,085	(1,471,992)	1,536,332	377,301
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	21,175,000	21,175,000	21,175,000	21,175,000
7	रिजर्व्स (पूर्ववर्ती वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	29,665,978
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10 प्रत्येक के) (समाप्त वर्ष को छोड़कर वार्षिकृत नहीं) बेसिक एवं डायल्युटेड	1.34	(0.70)	0.73	0.18

टिप्पणी : 1) उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर किये गये तैमाहिक अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स यथा www.msei.in पर उपलब्ध हैं। ये कम्पनी की वेबसाइट यथा www.sidhmanagement.in पर भी उपलब्ध हैं। 2) 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही हेतु आंकड़े वित्तीय वर्ष 2020-21 की तृतीय तिमाही तक वर्ष से तिथि आंकड़े और 31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्ण वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच बैलेंसिंग आंकड़े है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता/–
दिनेश शर्मा
पूर्ण-कालिक निदेशक
डीआईएन : 07526355
दिनांक : 05 अगस्त, 2021
स्थान : दिल्ली